

**Revised Certificate Order 15/2014 Dated 25-11-2014**

**FORM-1**

(for linear projects)

Government of Rajasthan  
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No: 3/2018

Dated: 25 May, 2018

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**


In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Shri R.K.Soni, Executive Engineer, P.W.D. Div. Shahabad** (name of user agency) for **Contruction of Road Work From Bhawargarh to Ranwasi** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Bhanwargarh, Ramnagar@Nayagaon and Ranwasi village(3) in Kishanganj tehsil.**

It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.50 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(A)** to annexure **(C)**.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl : As above.

Signature



(Dr. S.P. Singh)

President of District Level committees &  
District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर  
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

# कार्यालय जिला कलक्टर, बारा एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा (राज0)

क्रमांक/रीडर/डी0एम0/वनाधिकार/18/ 977

दिनांक-25.05.2018

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा की बैठक दिनांक 25.05.2018 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 25.05.2018 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा की बैठक आहूत की गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद द्वारा वनभूमि भँवरगढ से रनवासी सड़क प्रत्यावर्तन के लिये जारी प्रमाण पत्र संख्या 15/2014 में प्रस्तावित भूमि 2.49 है0 का संशोधित प्रमाण पत्र चाहे जाने पर प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया।

यह संशोधित प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, खांखरा ग्राम पंचायत, खांखरा पंचायत समिति, किशनगंज द्वारा प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 22.5.2018 की बैठक में अनुमोदित कर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को अग्रेषित किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज द्वारा संशोधित प्रस्ताव को दिनांक 24.05.2018 को अनुमोदित किया गया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भँवरगढ से रनवासी सड़क वनभूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम, 2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद द्वारा संशोधित प्रस्ताव पर अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म-1) में संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र0सं0	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अधीन वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत	प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों/ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1.	अधिशाषी सा0नि0 शाहबाद	भँवरगढ से रनवासी सड़क का संशोधित अनापत्ति	किशनगंज	खांखरा	खांखरा	22.05.2018	24.05.2018

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

*su*

(डॉ0 एस.पी. सिंह)

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर बारा

*सु*  
(राजीव कपूर)  
**उप वन सहायक बारा**

*mx*  
(रामजीवन मीना)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
पदेन परियोजना अधिकारी-माडा जिला परिषद, बारा

*कृष्णमुरारी*  
(कृष्णमुरारी मीना)  
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

*जोहला*  
(निर्मला मीना)  
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

**निर्मला मीना**  
जिला परिषद सदस्य बारा  
वार्ड 8



डी०एम० / वनाधिकार / 18 /

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।

2. उप वन संरक्षक, बारां

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां

4. उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज

5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज

6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

7. श्री कृष्णमुरारी मीणा, सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता-ग्राम टिगरी, पोस्ट-हानीहेडा, तहसील-अटूर जिला-बारां

8. श्रीमती निर्मलाकुमारी मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता- भीलों का मौहल्ला ग्राम व पोस्ट- मूडला बिसौती, तहसील-अटूर जिला-बारां

9. श्रीमती सरोज मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता- ग्राम मोरेली, पोस्ट-सेमली, तहसील-छबडा जिला-बारां

सचिव,

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी(माडा)

जिला परिषद, बारां

आज दिनांक 24/11/18 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंडरगढ़ से रनवासी सड़क के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे दर्जित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशपाकी जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	खाराखरा	2.50	2.95
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

May,

(M  
rein  
ed  
1 Ot  
ort)  
10 El  
ect  
ob  
ame  
vasi  
of

आज दिनांक 22/05/2018 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहुत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंवरगढ़ से रनवासी सड़क के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 2 का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 2 पर इन्दाज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	खानखरा	2.50	2.95
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

सदस्य सरपंच  
ग्राम पंचायत खानखरा  
पंचायत समिति शाहाबाद जिला कर्ना

श्री H. पंचायत समिति  
पंचायत शाहाबाद

सदस्य  
ग्राम पंचायत खानखरा  
पंचायत समिति शाहाबाद जिला कर्ना